सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाड़मेर

# आदेश

20.06.2018

यह पत्रावली बमुकाम को अटल सेवा केन्द्र चूली पर पेश हुई। प्रार्थी संख्या 01 से 03 उपस्थित जिनकी पहचान छैलसिंह अधिवक्ता द्वारा की गई। अप्रार्थी तहसीलदार बाडमेर उपस्थित। प्रार्थीगण ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि प्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी की भूमि ग्राम बाडमेर आगोर में खसरा नम्बर 3197/72 रकबा 25.08 बीघा, खसरा नम्बर 3198/71 रकबा 18.02 बीघा, खसरा नम्बर 3199/72 रकबा 17.18 बीघा एवं ग्राम झाड़वा मे खसरा नम्बर 139/48 रकबा 37.08 बीघा खसरा नम्बर 140/1 रकबा 0.07 बीघा एवं ग्राम चूली के खसरा नम्बर 170/24 रकबा 15.00 बीघा, खसरा नम्बर 173/24 रकबा 0.12 बीघा स्थित है। गत बन्दोबरत्त में प्रार्थीगण के पिता का खातेदारी में नाम छत्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह अंकित कर दिया, जो अशुद्ध नाम है। गत बन्दोबरत्त के बाद सन्धारित चौसाला जमाबन्दियों में प्रार्थीगण के पिता का नाम कही पर छत्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह, हड़वन्तसिंह पुत्र गोविन्दसिंह, हड़वन्तसिंह उर्फ चन्दनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह व चुतरसिंह उर्फ चन्दनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह एवं चन्दनसिंह पुत्र गोविन्दसिंह भी अंकित किया गया। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की सही वल्दियत चन्दनसिंह है। ग्राम झाड़वा पटवार मण्डल चूली की वर्तमान जमाबन्दी में खसरा नम्बर 139/48 एवं 140/1 में प्रार्थीगण की सही वल्दियत चन्दनसिंह है, जो सही व वास्तविक नाम है। प्रार्थीगण ने ग्राम बाडमेर मगरा एवं ग्राम चूली में

देवीसिंह

प्रताप सिंह राठौड़

बहादुरसिंह
पहचानकर्ता

(छैलसिंह)
एड.

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>राजस्व आवेदन संख्या 1294/2017 अनवान देवीसिंह बनाम तहसीलदार बाडमेर |
|---|---|
| | रिथत उपरोक्तानुसार अंकित खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण की वल्दियत चन्दनसिंह अंकित किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण ने अपने अभिकथन के समर्थन में प्रार्थी देवीसिंह पुत्र चन्दनसिंह का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त गत बन्दोबस्त में जारी पर्चा लगान, मिसल बन्दोबस्त की प्रमाणित प्रतिलिपियां भी प्रस्तुत की है। अप्रार्थी तहसीलदार बाडमेर से प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के बारे में संधारित अभिलेख के आधार पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार बाडमेर ने राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार आयोजित शिविर में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर उभय पक्ष को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मजमे आम में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम चन्दनसिंह होने के बारे में आम चर्चा करने पर उपस्थित लोगों ने प्रार्थीगण के पिता का सही नाम चन्दनसिंह होना स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में भू-अभिलेख संधारण में की गई प्रविष्टियों को शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br>तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत ग्राम चूली में स्थित खसरा नम्बर 170/24, 173/24 कुल रकबा 15.12 बीघा में प्रार्थीगण की वल्दियत चुतरसिंह उर्फ चन्दनसिंह के स्थान पर चन्दनसिंह एवं राजस्व ग्राम बाडमेर मगरा में स्थित खसरा नम्बर 3197/72, 3198/71, 3199/72 में प्रार्थीगण के पिता हड़वन्तसिंह उर्फ चन्दनसिंह के स्थान पर शुद्ध नाम चन्दनसिंह अंकित किये जाने की अनुशंसा की।<br>अतः तहसीलदार बाडमेर के प्रतिवेदनानुसार ग्राम चूली में स्थित 170/24, 173/24 कुल रकबा 15.12 बीघा में खातेदारान् देवीसिंह, प्रतापसिंह, बहादुरसिंह पिसरान चुतरसिंह उर्फ चन्दनसिंह भंवरकंवर पत्नी चुतरसिंह उर्फ चन्दनसिंह के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि देवीसिंह प्रतापसिंह, बहादुरसिंह पिसरान चन्दनसिंह भंवरकंवर पत्नी चन्दनसिंह अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी प्रकार ग्राम बाडमेर मगरा में स्थित खसरा नम्बर 3197/72, 3198/71, |

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

ख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 1294/2017 अनवान देवीसिंह बनाम तहसीलदार बाडमेर

3199/72 में खातेदारान् देवीसिंह, प्रतापसिंह, बहादुरसिंह पिसरान हड़वन्तसिंह उर्फ चन्दनसिंह भंवरकंवर पत्नी हड़वन्तसिंह उर्फ चन्दनसिंह के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि देवीसिंह प्रतापसिंह, बहादुरसिंह पिसरान चन्दनसिंह भंवरकंवर पत्नी चन्दनसिंह अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तदानुसार समस्त राजस्व भू–अभिलेख में शुद्धिकरण का अंकन सुनिश्चित करावें। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बाडमेर

Scanned by CamScanner